

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

मैनुअल नं. 24/प्रा.पत्र/2020

19.02.2020

12.08.2024

(GCMS No. 2020 / 00026)

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

- प्रार्थी

बनाम

बहादूर सिंह आ. मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी नमाना, तह. बून्दी
(मृतक जयें कायम मुकाम)

1. नन्दसिंह आ. स्व. बहादूर सिंह राजपूत निवासी ग्राम नमाना
2. अशोक आ. स्व. बहादूर सिंह राजपूत निवासी ग्राम नमाना
3. बीना कंवर पुत्री स्व. बहादूर सिंह राजपूत निवासी ग्राम नमाना
4. संतोष कंवर पुत्री स्व. बहादूर सिंह राजपूत निवासी ग्राम नमाना

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
उपस्थित-

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।

अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी बहादूर सिंह आ. मोती सिंह राजपूत
निवासी नमाना को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 126 रकबा 7 बीघा
वाकेग्राम नमाना दिनांक 15.10.1977 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन
नियम 14(4) भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 24/2020 पर दर्ज
रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2020/00026 ऑनलाईन इन्द्राज किया
गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। बावजूद
सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय
कार्यवाही अमल में लाई गई।

जिला कलक्टर, बून्दी


तत्पश्चात बहस परोकार सरकार सुनी गयी।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 126 रकबा 7 बीघा आवंटी बहादूर सिंह आ. मोती सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नमाना को दिनांक 15.10.1977 को आवंटन हुई थी। आवंटी के वारिसान अप्रार्थीगण वर्तमान में उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने बाबत परोकार सरकार द्वारा अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया आवंटी बहादूर सिंह आ. मोती सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नमाना को दिनांक 15.10.1977 को भूमि खसरा सं. 126 रकबा 7 बीघा वाकोग्राम नमाना का आवंटन किया गया था। आवंटी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) यहां पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2072-2075 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 1671/126 रकबा 1.0766 हैक्टयर पर आवंटी के वारिसान अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रस्ताव पत्र के बिन्दु 4 पर "आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर रहा है" अंकित किया है। राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काशत करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने से आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित है। आवंटी के वारिसान के उपस्थित न्यायालय नहीं आने से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वे आवंटन में कोई रूचि नहीं रखते है, इससे भूमि आवंटन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने से आवंटन निरर्थक हो चुका है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने से एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटी बहादूर सिंह आ. मोती सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नमाना को किया गया भूमि आवंटन



खसरा संख्या 126 रकबा 7 बीघा वाकेग्राम नमाना (वर्तमान खसरा संख्या 1671/126 रकबा 1.0766 हैक्टयर हाल ग्राम कंवरपुरा, पटवार हल्का नमाना) दिनांक 15.10.1977 एतद्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायक दर्ज करे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अश्वय गोदाया)
जिला कलक्टर बून्दी

